(19)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण क्रमांक R-877-तीन/14

पेश किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

877-III/14

योगेन्द्र बहादुर सिंह तनय श्री बंशगोपाल सिंह उम्र लगभग--45 वर्ष, पेशा, कृषिकार्य, निवासी ग्राम--खैरहन, तहसील--सिरमौर, जिला--रीवा, (म0प्र0) ....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1-- रामगोपाल सिंह तनय स्व0 श्री समरजीत सिंह उम्र लगभग--76 वर्ष, पेशा--कृषिकार्य, निवासी ग्राम--खैरहन, तहसील--सिरमौर, जिला--रीवा, (म0प्र0)

2-- म0प्र0शासन द्वारा ....अनावेदकगण/गैरपुनरीक्षणकर्तागण

क्रमांक 150
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
...........को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण आवेदन--पत्र विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील--सिरमौर, जिला--रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रकरण क्र0--01अ 5/2012--13 में पारित आदेश दिनांक 17.12.13 पुनरीक्षण आवेदन--पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू--राजस्व संहिता 1959ई0

योगेन्द्र/रामगोपाल — रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 877/III/ 2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.4.2014	यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा द्वारा प्र.क. 01/अ–5/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को ग्राह्यता पर सुना, उन्होंने तर्को में बताया कि ग्राम खैरहन की आराजी कमांक 630/2 रकबा 1.09 एकड़ आवादी भूमि है जिसका बटवारा आवेदक के पिता एंव अनावे. क–1 के बीच हुआ। तद्नुसार अनावेदक कमांक 1 को 0.59 ए. भूमि प्राप्त हुई है एंव आवेदक के पिता को 0.50 ए0 भूमि प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल नक्शों में लालस्याही से नक्शा तरमीम कराये जाने का आवेदन अनावेदक क–1 ने दिया था जो संहिता की धारा 107 के अधीन था, जिसकी शक्तियॉ कलेक्टर को है किन्तु तहसीलदार सिरमौर ने कलेक्टर की शक्तियों का गलत उपयोग किया है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया जावे एंव स्थगन दिया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया तथा तहसीलदार सिरमौर द्वारा प्र.क. 01	

योगेन्द्र बहादुर सिंह / रामगोपाल सिंह
R.877-III/15 रीवा

अ–5/12–13 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके अनुसार तहसीलदार ने नक्शा तरमीम का प्रस्ताव स्वीकार किया है। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या नक्शा तरमीम करने के अधिकार तहसीलदार को हैं अथवा नहीं ?

म0प्र0भू. राजस्व संहिता,1959 की धारा 70 – सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नकमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति – टिप्पणी (आ) – बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगें (धारा 90 देखें) कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत डिप्पणी इ (90)देखें।

संहिता की धारा 71 में नियम 3 इस प्रकार है –

3. बंदोवस्त अधिकारी धारा 70 (अब 67) के अधीन अधिसूचना व्दारा आच्छादित ऐसे गॉवों का परिमाप या पुर्नमापन या नक्शों की शुद्धि कार्यान्वित करेगा जिनमें ऐसे परिमाप , पुर्नमापन या नक्शों की शुद्धि की आवश्यकता हो।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किया है जो अपील योग्य है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अग्राह्य होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर